संख्या-1178/47-का-3-2008-3/14/97

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
(संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-3

लखनऊः दिनांक 14 अक्टूबर, 2008

विषयः विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत सरप्लस स्टाफ एवं रिक्तियों का विन्हीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-1046/47-का-3-2008-3/14/97, दिनांक 18-6-2008 की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के शासकीय विभागों के सरप्लस स्टाफ के पुनराभिनियोजन के संबंध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु शासकीय विभागों में सरप्लस कर्मियों की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या निर्धारित प्रारूप-1 व 2 पर वांछित सूचना (संलग्न सूची में उल्लिखित विभागों को छोड़कर) अन्य विभागों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों के संबंध में निर्धारित प्रारूप-1 पर सरप्लस स्टाफ का विवरण एवं प्रारूप-2 पर रिक्त पदों का विवरण कार्मिक अनुभाग-3 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीया,

14.10.08

(अनिता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत सरप्लस स्टाफ एवं रिक्तियों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिन विभागों द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है, उनकी सूची निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1-	राज्य सम्पत्ति विभाग
2-	ग्राम विकास विभाग
3-	औद्योगिक विकास विभाग के अधीनस्थ सिक्ख ।
4-	मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीनस्थ लोक शिकायत निदेशालय
5-	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ।
6-	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
7-	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग ।